

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या-350534 / XXVIII(5)/2025(e-84103)-एतद्वारा उत्तर प्रदेश (सेवा संघो को मान्यता) नियमावली, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रभावी) एवं कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-166/कार्मिक-2/2002, दिनांक 28 फरवरी, 2002 में निहित नियमों/शर्तों के अधीन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संघ", को मान्यता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ० आर राजेश कुमार,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-01-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 चिकित्सा/49-13-02-2026-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)